प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका सी क्रमांक 1807/2020

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

01– रूपलाल साहू, पिता स्व. अटल उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम गाड़ाडीह, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

02– केवारा बाई, पिता भैरो प्रसाद, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम हाथीडोब, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

03– ओंकार महेश्वरी, पिता स्व. गिरधारी लाल महेश्वरी, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी ग्राम इंदिरा बाजार दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

04– संतोष महेश्वरी, पिता स्व. गिरधारी लाल महेश्वरी, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम इंदिरा बाजार दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

05– लीला बाई, पति संजय सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी तमेर पारा, किल्ला मंदिर रोड दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

06– लट्टू राम, पिता चैनू राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम रउस, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

07– दशरथ, पिता छेदू सिंह, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी ग्राम बुंदेली, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

08– ललिता, पिता स्व. डोमन सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम

बुंदेली, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़,

09– वेंकटेश्वर, पिता बिसरू, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम लुक, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

10– ग्वाल दास, पिता बोधन, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम लुक, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

11– कमलनारायण साहू, पिता मनसुख लाल साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम बुंदेली, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12– भूपेन्द्र सिंह राजपूत, पिता हीरालाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम बुंदेली, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

13– देवकरन, पिता सुकालू, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम गड़ाडीह, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

14– विजय, पिता बिषम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम गोधमर्रा, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़,

15– कुमार सिंह, पिता स्व. बुटु सिंह, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम गोधमर्रा, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

16– चोगालाल महेश्वरी, पिता स्व. गिरधारी लाल महेश्वरी, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम इंदिरा बाजार, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़,

17– संगीता महेश्वरी, पति संतोष महेश्वरी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी

ग्राम इंदिरा बाजार, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़,

18– कल्पना महेश्वरी, पिता चोगालाल महेश्वरी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम इंदिरा बाजार, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

19– संजीवन सिंह ठाकुर, पिता रामदुलार, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम बुंदेली, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

20– राज कुमार, पिता स्व. उधेराम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम सोनडोगरी, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21– सनत, पिता पीलाराम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम सोनडोगरी, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

22– नीलकंठ, पिता स्व. सहसराम, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम सोनडोगरी, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

23– डोगेन्द्र, पिता गिरधर, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम गोधमर्रा, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

24– जानकी, पिता जीवन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम हाथीडोब, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।

25– बीरन, पिता तुलसी, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी ग्राम लुक, तहसील साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

.... याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

01— छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

02— जिलाधीश, बेमेतरा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

03— तहसीलदार, साजा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

.... **उत्तरवादीगण**

पैरवीकर्ता अधिवक्तागण

याचिकाकर्ताओं के लिए — श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण/राज्य के लिए — श्री गगन तिवारी, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी

आदेश

23/08/2021

01— इस प्रकरण को याचिकाकर्तागण जो कि किसान है, उनके द्वारा इस आधार पर यह याचिका संस्थित की गई है कि, उनके द्वारा दिनांक 09.02.2020 से 12.02.2020 तक सहकारी सेवा समिति मर्यादित, गढ़ाडीह में विक्रय हेतु अपना धान जमा किया गया था। उक्त संस्थान में कम्प्यूटर की खराबी होने के कारण धान के परिदान की प्रविष्टि का इन्द्राज नहीं हो सका और याचिकाकर्तागण को धान के जमा होने के संबंध में मैनुअल रसीदे (एनेक्सर पी—1) दी गई, जो कि धान के जमा होने

के तथ्य को पुष्ट करती है। उनके द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि तहसीलदार के द्वारा दिनांक 16.02.2020 को परिसर में रखे गए धान का निरीक्षण किया गया और वहां रखे धान को अमानकीय व गुणवत्ताहीन पाया गया तथा दिनांक 17.02.2020 को अभिलेखों का निरीक्षण कर यह भी पाया कि कम्प्यूटर या किसी रजिस्टर में कोई भी इन्द्राज नहीं किया गया था, परन्तु एक पृथक रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी। उनके द्वारा आगे यह भी उल्लेखित किया गया है तहसीलदार के द्वारा इसी रिपोर्ट (एनेक्सर पी–2) के आधार पर यह निर्देश जारी किया गया कि याचिकाकर्तागण के द्वारा जमा किए गए धान को क्रय नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह भी उल्लेखित किया गया है कि याचिकाकर्तागण को सोसाइटी के आंतरिक मामलों के संबंध में सजगता व जानकारी नहीं है, परन्तु याचिकाकर्तागण जमा किए गए धान के संबंध में, जिसे सोसाइटी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, का मूल्य प्राप्त करने के अधिकारी है एवं राज्य भी सोसाइटी के व्यक्तिगत देनदारी को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया गया है कि राज्य की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि धान को अमानकीय घोषित करने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। उनके द्वारा आगे तर्क में यह भी व्यक्त किया गया कि, याचिकाकर्तागण के धान को कम्प्यूटर में प्रविष्ट न होने के कारण उसे क्रय करने से इंकार कर देना, याचिकाकर्तागण को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। आगे यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पश्चात कलेक्टर के द्वारा धान को क्रय न करने के जो कारण प्रथम अवसर पर उल्लेखित किए गए है, उसे उत्तरवादीगण के पक्ष में स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उत्तरवादीगण ने पश्चातवर्ती अवसर पर अपने जवाब के आधार को ही परिवर्तित करके अपने कार्य में सुधार करने एवं उस कार्य को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है। इसलिए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2020 (एनेक्सर पी–7) को अपास्त करते हुए उत्तरवादीगण को आदेशित किया जावे कि वे शासकीय नीति के अनुसार तय की गई धान की कीमत का भुगतान याचिकाकर्तागण को करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02– उत्तरवादी राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहें विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार के द्वारा दिनांक 18.02.2020 को पारित आदेश (एनेक्सर पी–2) आज दिनांक तक अपास्त नहीं किया गया है। जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि परिसर में पाया गया धान अमानकीय था। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किए गए धान के जमा होने के संबंध में परिसर में पाए गए धान के भंडार को किसी अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया, जिस कारण सोसाइटी के सदस्यों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। आगे यह भी कहा गया है कि तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि सोसाइटी में हेरफेर करने का प्रयास किया गया है, इसलिए याचिकाकर्तागण किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

03– पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए।

04– याचिकाकर्ताओं का दावा यह है कि, वे सभी किसान है। उन्होंने सोसाइटी में धान लाया था और उस दिन सोसाइटी का कम्प्यूटर काम नहीं कर रहा था, जिस कारण कम्प्यूटर में उनके द्वारा लाए गए धानों के विवरण का प्रविशिट नहीं किया गया। अपने दावें के समर्थन में याचिकाकर्तागण ने उन्हें प्राप्त मेनुअल रसीद (एनेक्सर पी–1) पर ही विश्वास जताया है। याचिकादाताओं के अनुसार उनके द्वारा 6517 बोरों में धान लाया गया था, जिनकी कुल मात्रा 2606.80 क्विंटल रही है। इस संबंध में राज्य की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार तहसीलदार ने धान खरीदी केन्द्र में दिनांक 16.02.2020 को निरीक्षण किया और पाया था कि वहां पर एक वाहन खड़ी थी और पूछताछ में यह बताया गया कि वाहन क्रमांक सी.जी.–04, जे.बी.–4910 से जो धान उतारा जा रहा था, उसे बाबा रामदेव राईस मिल द्वारा वापिस भेज दिया गया था, क्योंकि वह धान अमानकीय एवं गुणवत्ताहीन था। इस तथ्य को तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.02.2020 को तैयार की गई रिपोर्ट (एनेक्सर पी–2) में भी उल्लेखित किया गया है। आगे जवाब में यह भी उल्लेखित है कि दिनांक 17.02.2020 को निरीक्षण करने पर परिसर में रखे 6517 बोरा धान की कम्प्यूटर में प्रविष्टि नहीं की गई थी और यह धान दिनांक 09.02.2020 से 11.02.2020 के मध्य ही परिसर में लाया गया था। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए जवाब एवं तहसीलदार के रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि धान खरीदी की प्रविष्टि एक पृथक रजिस्टर में की गई थी तथा तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तौल पर्ची एवं रजिस्टर में जो हस्ताक्षर पाए गए थे, वे भिन्न–भिन्न थे। तहसीलदार के रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि धान खरीदी केन्द्र में भंडारित धानों को अमानकीय पाया गया था और अंततः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया और उस धान को क्रय न करने के निर्देश भी जारी किए गए।

05– यह भी उल्लेखनीय है कि इस याचिका के पूर्व भी दोनों पक्षों के मध्य इसी विवाद के निर्मित होने पर याचिकाकर्तागण ने इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी, तब इस न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1102/2020 में दिनांक 08.06.2020 को आदेश पारित किया गया था, जिसकी कंडिका 6 में यह उल्लेख किया गया था कि–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

''याचिकाकर्तागण द्वारा कथित विवाद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि, प्रस्तुत विवाद के संबंध में इस न्यायालय के द्वारा कोई जांच या विवेचना करना उचित नहीं है, क्योंकि इस विवाद के संबंध में एक मामला पूर्व से ही कलेक्टर बेमेतरा के समक्ष प्रतिनिधित्व के माध्यम से रखा गया है। इसलिए यह न्यायालय इस रिट याचिका का निराकरण कलेक्टर बेमेतरा को यह निर्देश देते हुए करती है कि, वे शीघ्र ही अपने समक्ष रखे इस प्रकरण का निराकरण करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि तेजी से आ रहे मानसून के मौसम के आगमन के पूर्व ही मामले पर निर्णय ले लिया जावे।''

06– इसके पश्चात कलेक्टर के द्वारा दिनांक 23.07.2020 को आदेश (एनेक्सर पी–7) पारित किया गया, जिसे याचिकाकर्ता किसानों के द्वारा

वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

07– राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि याचिकादाताओं को जो मेनुअल रसीद (एनेक्सर पी–1) जारी की गई, उसके संबंध में उनके द्वारा कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दिया गया है। जबकि उक्त रसीदें याचिकादाताओं के आधिपत्य में है, जो कि सोसाइटी में उनके द्वारा किए गए धान के परिदान का दावा कर रहे है। दिनांक 18.02.2020 को तहसीलदार के द्वारा जारी रिपोर्ट (एनेक्सर पी–2) में भी 6517 धान के थैलों को परिसर में पाए जाने एवं उसके कम्प्यूटर में इन्द्राज न होने का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि तौल पर्ची एवं धान की पावती रजिस्टर में पाए गए हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न है। कलेक्टर के द्वारा याचिकाकर्ताओं के द्वारा परिदत्त किए गए धान को स्वीकार करने की प्राथमिक अस्वीकृति इस आधार पर थी कि धान के परिदान की प्रविष्टि किसी साफ्टवेयर या रजिस्टर में नहीं हुई थी, परन्तु इसे एक नए पंचनामा रजिस्टर में इन्द्राज किया गया था, जो दिनांक 09.02.2020 के प्रविष्टि को दर्शित करता है। जबकि राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं कलेक्टर द्वारा दिनांक 23.07.2020 को पारित आदेश (एनेक्सर पी–7) में धान क्रय करने की प्राथमिक अस्वीकृति इस आधार पर दी गई थी, वह धान अमानकीय एवं गुणवत्ताहीन था। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.02.2020 को तैयार की गई रिपोर्ट, जो कि उत्तरवादीगण के बचाव का मुख्य आधार है, उसमें भी यह स्पष्ट नहीं है कि सोसाइटी के द्वारा (एनेक्सर पी–1) के अनुसार जो धान खरीदा गया था, वह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अमानकीय अथवा गुणवत्ताहीन था या नहीं। यह एक सर्वसंग्रह एवं सर्वव्यापी रिपोर्ट है कि परिसर में जो धान पाया गया है वह अमानकीय है।

08– निश्चित रूप से धान को अमानकीय घोषित करने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और (एनेक्सर पी–6) के माध्यम से उक्त संबंध में निर्देश जारी किए गए है। विश्लेषण की प्रक्रिया निर्धारित है, संक्षेप में इस प्रक्रिया का सुसंगत भाग निम्नानुसार है–

"**विश्लेषण की प्रक्रिया**– 5 ग्राम चांवल (अक्षत एवं टूटा हुआ) को एक पेट्रीडिश (एक उथला गोल कंटेनर) में रख ले। इसके पश्चात दोनों को लगभग 20 मिलीलीटर मेथिलीन ब्लू घोल (आसूत जल में वजन के अनुसार 0.05 प्रतिशत) में डुबोए और लगभग 1 मिनट तक पड़े रहने दे। फिर मेथिलीन ब्लू के घोल को छान ले। फिर उसे लगभग 20 मिलीलीटर हल्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (आसूत जल में 0.05 प्रतिशत घोल) के साथ उसे घुमाकर धो ले। इसके पश्चात उसे साफ पानी से अच्छी तरह से धो ले और उसमें नीले दाग वाले दानों पर मेटानिल पीला घोल (आसूत जल में वजन के अनुसार 0.05 प्रतिशत) डाले और लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही रखे रहें। बहिस्त्राव को छान ले और ताजे पानी से दो बार धो ले, दाग लगे हुए दानों को ताजा रखे और छीले हुए दानों को गिने। विश्लेषण के अनुसार 5 ग्राम नमूने में अनाज की कुल संख्या की गणना करें, 3 टूटे हुए अनाज को 1 साबूत अनाज के रूप में गिना जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गणना–

1. छीले हुए दानों का प्रतिशत $= \frac{N \times 100}{W}$

   यहां पर N का तात्पर्य है– 5 ग्राम नमूने में छीले हुए दानों की संख्या तथा W का तात्पर्य है– 5 ग्राम नमूने में कुल दानों की संख्या।

2. नमूने को लेने की विधि का पालन भारतीय मानक ब्यूरो ''अनाज और दानों के नमूने लेने की विधि'' आई.एस. क्रमांक 14818–200 में समय–समय पर संशोधन अनुसार वर्णित रीति से किया जावेगा।

3. पूरी गुठली के आकार के 1/8वें हिस्से से कम के टुकड़ों को कार्बनिक विदेशी पदार्थ माना जाएगा। टूटे हुए टुकड़ों के आकार के निर्धारण के लिए चांवल की मुख्य श्रेणी की औसत लंबाई को ध्यान में रखा जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. किसी भी लॉट में अकार्बनिक विदेशी पदार्थ 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि वह अधिक है तो स्टॉक को साफ करके सीमा के भीतर लाया जाना चाहिए। चांवल की सतह पर चिपकी हुई मिट्टी या गुठली के टुकड़ो को अकार्बनिक विदेशी पदार्थ माना जाएगा।

5. प्रेशर पॉरबॉयलिंग तकनीक द्वारा तैयार किए गए चांवल के मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पॉरबॉयलिंग की सही प्रक्रिया अपनाई जाए अर्थात उसमें दबाव डाला जाए, जिस समय दबाव डाला जाए उस समय उचित जिलेटिनाईजेशन, वातन और मिलिंग से उसे पर्याप्त रूप से सुखाया गया हो, जिससे कि पॉरबॉयईल्ड हुआ चांवल का रंग और पकाने का समय अच्छा हो और अनाज सिकुड़ कर पपड़ी बनने से मुक्त हो।

09– सोसाइटी, राज्य की ओर से एक अभिकर्ता के रूप में धान खरीदी का कार्य कर रही थी और यह तथ्य भी उनके द्वारा खण्डित नहीं किया जा सका कि

कम्प्यूटर खराबी के कारण धान की खरीदी मैनुअल रूप से की गई तथा रसीदें जारी की गई। इस प्रकार यह प्रकरण धान के गुणवत्ताहीन होने के आधार पर खरीदी से इंकार का नहीं है, यदि सोसाइटी के सदस्यों ने धान को ग्रहण करने के पूर्व निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो ऐसी दशा में याचिकाकर्तागण जो कि किसान है और उनके पास धान जमा करने की रसीदें भी है, इसलिए उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। भले ही सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सोसाइटी में रखे धान के भण्डारण में धोखाधड़ी या हेराफेरी की गई है, तो इसका ध्यान रखना संबंधित अभियोजन एजेंसी का कार्य है। मात्र इस सामान्य टिप्पणी से की परिसर में पाया गया धान अमानकीय था और उसकी कम्प्यूटर में प्रविष्टि नहीं हुई थी, याचिकाकर्ता किसानों को उनके दावे से वंचित नहीं किया जा सकता, याचिकाकर्तागण से खरीदा गया धान खराब होने के संबंध में स्पष्ट एवं विशिष्ट निष्कर्ष दिया जाना चाहिए था तथा यचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए मैनुअल रसीदों के खण्डन के संबंध में भी कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दिए जाने चाहिए थे। चूंकि समिति के सदस्य को अवैध कार्य करते हुए पाया गया, इसीलिए तहसीलदार के द्वारा (एनेक्सर पी–2) के माध्यम से उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। राज्य की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से यही दर्शित हो रहा है कि राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में पहले लिए गए आधार को बदलकर एक नया आधार ले लिया है और अपने कृत्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है।

10– इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्वाईंट एक्शन

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कमेटी एयरलाईंस पायलेट एसोशिएशन विरूद्ध डॉयरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन एण्ड अदर्स (2011) 5 एस.सी.सी. 435 के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें कि आर.एन. गोसैन विरूद्ध यशपाल धीर ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 352 में चुनाव के सिद्धांत को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य द्वारा असंगत रूख नहीं अपनाया जा सकता। उक्त निर्णय की कंडिका 11 एवं 12 में उल्लेखित सुसंगत निष्कर्ष इस प्रकार है–

"11. विधि किसी व्यक्ति को अनुमोदन और पुर्नमूल्यांकन दोनों की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है जो यह बताता है कि कोई भी पक्षकार किसी एक ही तथ्य अथवा आधार को स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति एक समय में किसी संव्यवहार को वैध कहकर कोई लाभ अर्जित कर सकता है, तो फिर वही व्यक्ति किसी अन्य लाभ के लिए उसी संव्यवहार को शून्य कह देता है।

12. चुनाव का सिद्धांत विबंध के नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत इसी में निहित है कि कोई इसका अनुमोदन नहीं कर सकता और न ही कोई इसका खण्डन कर सकता है। चुनाव के द्वारा विबंध का सिद्धांत एक प्रकार के विबंध के कार्यो की प्रजाति (न्यायसंगत विबंध) है, जो कि साम्य का नियम है। उस विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को उस अधिकार का दावा करने से जो अन्यथा उसके पास होता, उसे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसके कार्यो या आचरण अथवा खामोशी से रोका जा सकता है, जब बोलना उसका कर्तव्य हो। किसी पक्षकार के द्वारा असंगत दलीले लेने से उसका आचरण संतोषप्रद नहीं रह जाता है। इसके अलावा पक्षकारों को असंगत दलीले देकर प्रक्रिया को अनावश्यक लंबा खींचकर तप्त एवं शीत की फूंक नहीं मारनी चाहिए। (इस संबंध में ये सभी प्रकरण अवलोकनीय है– बाबू राम उर्फ दुर्गा प्रसाद विरूद्ध इन्द्रपाल सिंह (मृत) एल.आर.एस.एस., (1998) 6 एस.सी.सी. 358, पी.आर. देशपांडे विरूद्ध मारूति बलराम हैबत्ती, (1998) 6 एस.सी.सी. 507; और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध गोल्डन चैरिओट एयरपोर्ट एण्ड अनदर., (2010) 10 एस.सी.सी. 422)।''

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11– इस तथ्य को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध गोल्डन चैरिओट एयरपोर्ट एण्ड अनदर., (2010) 10 एस.सी.सी. 422 के प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित कर दिया है कि एक मुकदमे के किसी पक्षकार को न्यायालय में असंगत स्थिति निर्मित करने, तेज एवं ढीला खेलने एवं तप्त अथवा शीत फूक मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित निर्णय की कंडिका 50 में कहा गया है कि–

''50. कलकत्ता उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में द्विजेन्द्र नारायण रॉय विरूद्ध जोगेश चन्द्र डे, (ए.आई.आर. 1924 कलकत्ता 600), के प्रकरण में न्यायमूर्ति आशुतोष मुखर्जी ने कहा है कि यह एक प्राथमिक नियम है

कि किसी वाद के पक्षकार को अदालत में असंगत स्थिति निर्मित करने तेज एवं ढीला खेलने, तप्त एवं शीत फूक मारने तथा अपने विरोध पक्षकार की हानि के लिए अनुमोदन और निंदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

12– समग्र तथ्यों को मिलाकर देखने एवं दिनांक 23.07.2020 को कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का परिशीलन करने के उपरांत यह दर्शित हो रहा है कि राज्य के द्वारा धान को अमानकीय कहकर स्वीकार नहीं करने के संबंध में जो तर्क दिया है वह पूर्णतः असंगत है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे धान को अमानकीय घोषित किए जाने के पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख हो। इससे भी अधिक सर्वसंग्रह एवं सर्वव्यापी कथन यह प्रस्तुत किया गया है कि धान खरीदी केन्द्र में पाया गया धान अमानकीय था। इसलिए 6517 थैलों में रखा गया धान अमानकीय था यह तथ्य एकदम अस्पष्ट है। इन तथ्यों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपाल कृष्णा जी केटकर विरूद्ध मोहम्मद हाजी लतीर एवं अन्य ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 1413 में पारित विधिक सिद्धांत लागू होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, भले ही किसी पक्षकार पर सबूत का भार न हो फिर भी न्यायालय उसके विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है, यदि वह महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने आधिपत्य में रखता है, जो विवाद के तथ्यों में प्रकाश डालते है। इसलिए याचिकाकर्ता किसानों के धान को खरीदने से इंकार करने का जो आदेश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिया गया उसमें अमानकीय घोषित किए जाने हेतु विधि में अपेक्षित एवं निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी कार्य को करने का एक निश्चित तरीका किसी विधि में उपबंधित है तो उसे उसी विधि एवं प्रक्रिया के अधीन ही किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी धान को अमानकीय घोषित करने के पूर्व ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और राज्य के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष असंगत तर्क प्रस्तुत किए गए। इसलिए राज्य के इन तर्को को धान के परिदान की रसीदे (एनेक्सर पी–1) को दरकिनार कर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। उक्त रसीदों से यह स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि उत्तरवादीगण ने धान का परिदान किया था और डिलीव्हरी चालान के माध्यम से उन्हें रसीद परिदत्त किया गया था, जिनका खण्डन इस न्यायालय के समक्ष नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13– इस प्रकार इन परिस्थितियों में यह निर्देश दिया जाता है कि सोसाइटी के सदस्यों के विरूद्ध उत्तरवादी के द्वारा आपराधिक दायित्व के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद भी याचिकाकर्ता किसानों को उनके विधिक अधिकारों से, जो उन्होंने (एनेक्सर पी–1) के रसीदों के आधार पर साबित किया है, वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आदेशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता किसानों द्वारा जमा पर्ची/तौल पर्ची प्रस्तुत किए जाने पर उत्तरवादी/राज्य शासन किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार तय की गई मूल्य को देने के लिए बाध्य होगें। इसलिए यह आदेश भी दिया जाता है कि

उत्तरवादी/राज्य द्वारा याचिकाकर्ता किसानों को वर्ष 2020 में विद्यमान नीति के अनुसार धान के परिदान की कीमत का भुगतान 03 माह के अंदर दिया जावेगा।

14— इन विश्लेषणों एवं टिप्पणियों के साथ यह याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/—
(गौतम भादुड़ी)
न्यायधीश

————————————00————————————

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**